## न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, देसूरी जिला–पाली

पीठासीन अधिकारी– श्रीमति राजलक्ष्मी गहलोत (R.A.S.)
राजस्व विविध संख्या – 54/2019
तारीख निर्णय– 24.12.2020

**प्रार्थीगण :–**

सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार, देसूरी

–: विरूद्ध :–

**अप्रार्थीगण :–**

1. गणपतलाल पुत्र रूपाराम
2. सोहनलाल पुत्र रूपाराम
3. मदीया पुत्री रूपाराम
4. दरिया पुत्री रूपाराम
5. गीतादेवी पत्नी दिनेशपुरी जाति गोस्वामी निवासी–घाणेराव तहसील–देसूरी

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा1955**

**उपस्थिति–**
1– प्राथीगण तहसीलदार देसूरी उपस्थित।
2– अप्रार्थी संख्या–5 की ओर अधिवक्ता भागीरथ गहलोत।

–: निर्णय :– दिनांक– 24.12.2020

प्रकरण हाजा के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–175 राज.काश्त. अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा ग्रम घाणेराव के खसरा नम्बर 2819 रकबा 1.1000 हैक्टर किस्म बा.आ. भूमि गणपतल, सोहनलाल पुत्र रूपाराम, मदिया, दरिया पुत्री रूपाराम जाति छुआरा निवासी घाणेराव तहसील देसूरी की सहखातेदारी भूमि है। जो अनुसूचित जाति सदस्य है। वर्तमान में श्रीमति गीतादेवी पत्नी दिनेशपुरी जाति गोस्वामी निवासी घाणेराव काबिज। जो स्वर्ण जाति के है।

यह है कि उक्त भूमि पर श्री गणपतलाल, सोहनलाल पुत्र रूपाराम जाति छूआरा निवासी घाणेराव ने श्रीमति गीतादेवी पत्नी दिनेशपुरी जाति गोस्वामी निवासी घाणेराव को लिखित कर बेचान किया गया है जिसकी लिखित की प्रति संलग्न है उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड के अनुसार गणपतल, सोहनलाल पुत्र रूपाराम, मदिया, दरिया पुत्री रूपाराम जाति छुआरा के नाम सयुक्त खातेदारी दर्ज है। उक्त भूमि अप्रार्थी के पिता रूपाराम ने दिनांक 21.08.2002 को अपने नाम का स्टाम्प ... गणपतलाल ने बेचाननामा श्रीमति गीतादेवी पत्नि दिनेशपुरी जाति गोस्वामी के ... करवाया था। उक्त भूमि पर वर्तमान में गीतादेवी काबिज है, जो स्वर्ण जाति की है ... भूमि के खातेदार अनुसूचित जाति से है। जो नियमों के विरूद्ध है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.15 19:42:19 IST
Reason: SelfAttested

पेज लगातार 02 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

अप्रार्थी संख्या 01 से 04 ने उक्त भूमि का बेचाननामा अप्रार्थी संख्या 05 के नाम लिखित में हुआ है, जो कानूनन विपरित है। उपरोक्त भूमि पर स्वर्ण जाति का कब्जा होना धारा 46(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के विपरित होने से कानूनी अवैध है। अतः उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 175 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण के विरूद्ध उपरोक्त भूमि पर से बेदखली का आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गयां अप्रार्थी संख्या 01 से 04 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी संख्या 05 की ओर से वकील भागीरथ गहलोत ने वकालत नामा पेश किया।

अप्रार्थी संख्या 04 की ओर जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम घाणेराव के खसरा नम्बर 2819 रकबा 1.100 हैक्टर किस्म बा.अ. भूमि गणपतल, सोहनलाल पुत्र रूपाराम, मदिया, दरिया पुत्री रूपाराम की सहखातेदारी भूमि है। उक्त अप्रार्थी संख्या 01 से 04 अनुसूचित जाति के सदस्य न होकर छुआरा उर्फ सुआरा(स्वर्ण जाति) के सदस्य है जो पिछडे वर्ग से संबंधित है। छुआरा उर्फ सुआरा जाति पिछर्ड वर्ग की सूची के क्रम संख्या 31 में सूचीबद्ध है। करीब 18 वर्ष से उक्त भूमि पर अप्रार्थी संख्या 05 गीतादेवी का ही निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है। अप्रार्थी संख्या 05 गोस्वामी उर्फ गोंसाई जाति (स्वर्ण जाति) की सदस्या है, जो पिछडा वर्ग से संबंधित है। गोस्वामी उर्फ गोंसाई जाति पिछडे वर्ग की सूची के क्रम संख्या 19 पर सूचि बद्ध है। अतः प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया है जो काबिल खारिज योग्य है।

यह है कि दिनांक 21.08.2002 को अप्रार्थी संख्या 02 सोहनलाल ने अपने स्वयं के हस्ते अपने पिताजी रूपाराम पुत्र ठाकरजी के नाम से रूपये 20/– का नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प खरीदा तथा अप्रार्थीगण संख्या 01 व 02 ने अप्रार्थी संख्या 05 को उक्त सम्पूर्ण भूमि को रूपये 80101/– अक्षरे अस्सी हजार एक सौ एक रूपये में बेचान करना तय कर साई पेटे रूपये 21000/– रोकड़ प्राप्त कर दिनांक 22.08.2002 को उक्त स्टाम्प पर साक्षीगण के समक्ष उक्त कृषि भूमि का बेचान ईकरारनामा अप्रार्थी संख्या 05 को सुपुर्द कर शेष रकम प्राप्त होने पर विक्रय विलेख निष्पादित करना तय किया था। उक्त इकरानामा के पश्चात अप्रार्थी संख्या 05 का करीब 18 वर्षो से निरन्तर काबिज है।

अतः अप्रार्थी संख्या 01 व 02 ने अप्रार्थी संख्या 05 को उक्त भूमि का बेचान कर अप्रार्थी संख्या 05 के पक्ष में बेचाननामा निष्पादित कर कब्जा सुपुर्द किया था, चूंकि अप्रार्थी संख्या 01 लगाय 04 छुआरा उर्फ सुआरा जाति (स्वर्ण जाति) के सदस्य है, जो पिछडे वर्ग के सदस्य है। इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 05 गोस्वामी उर्फ गोसाई जाति (स्वर्ण जाति) की सदस्या है, जो पिछडे वर्ग से संबंधित हैं। तमाम ही अप्रार्थीगण बेचाननामा के समय से पूर्व ही स्वर्ण जाति से संबंधित है जिससे उनके मध्य निष्पादित बेचाननामा विधि के नजर में पूर्णतया वैध है जिससे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज योग्य है।

न्यायालय द्वारा पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड एवं पटवारी हल्का घाणेराव द्वारा प्रस्तुत मौका जांच रिपोर्ट व पिछडे वर्ग की सूची का ध्यान पूर्वक अध्ययन एवं मनन

पेज लगातार 03 पर...

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.15 19:42:19 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

करने पर पाया कि दिनांक 21.08.2002 को अप्रार्थी संख्या 02 सोहनलाल ने अपने स्वयं के हस्ते अपने पिताजी रूपाराम पुत्र ठाकरजी के नाम से रूपये 20/– का नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प खरीदकर अप्रार्थी संख्या 01 व 02 ने अप्रार्थी संख्या 05 को उक्त भूमि दिनांक 22.08.2002 को रूपये 80101/– में बेचान कर कब्जा सुपुर्द करना पत्रावली में उपलब्ध बेचाननामा प्रतिलिपि व पटवारी मौका फर्द से सिद्ध होता है।

इस पत्रावली में महत्वपूर्ण बिन्दु यह है कि विक्रेता व क्रेता की जाति क्या है ? प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में व्यक्त किया है कि अप्रार्थी संख्या 01 से 04 की संयुक्त खातेदारी भूमि है जिनकी जाति छुआरा है, जो अनुसूचित जाति से है। जिनके द्वारा अप्रार्थी संख्या 05 गीतादेवी पत्नी दिनेशपुरी जाति गोस्वामी के पक्ष में बेचान नामा करवाया है जिनकी जाति गौंसाई (स्वर्ण जाति) से है। अतः उक्त बेचाननामा कानून के विपरित है। जिस संबंध में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जारी पिछडे वर्ग की सूची का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर होता है कि अप्रार्थी संख्या 01 से 04 की जाति छुआरा उर्फ सुआरा पिछडे वर्ग की सूची में कम संख्या 31 में आता है व अप्रार्थी संख्या 05 गीतादेवी पत्नी दिनेशपुरी गोस्वामी उर्फ गौंसाई भी पिछडे वर्ग सूची की कम संख्या 19 पर सूची बद्ध है।

इस पत्रावली में विचाराधीन पश्न यह है कि क्या विकेता जो कि छुआरा जाति का है, वह अनुसूचित जाति से है ? इस संबंध सामजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जारी अनुसूचित जाति की सूची का भी अवलोकन किया गया जिसमें कहीं पर भी छुआरा जाति अनुसूचित जाति की सूची में अंकित नहीं है। छुआरा पिछडे वर्ग की सूची में कम संख्या 31 पर दर्ज है। जिससे स्पष्ट है कि विक्रेता जो कि छुआरा जाति से है, अनुसूचित जाति का ना होकर अन्य पिछडे वर्ग से है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आधारहीन है। न्यायालय इसमें किसी प्रकार से धारा 46(ए) आर.टी.एक्ट का उल्लंघन नहीं पाता है। अतः प्रार्थना पत्र आधारहीन होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(राजलक्ष्मी गहलोत)
सहायक कलक्टर
देसूरी

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

निर्णय आज दिनांक 24.12.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
देसूरी

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.15 19:42:19 IST
Reason: SelfAttested